

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

153

बल्लभ भवन, भोपाल-462002

भोपाल, दिनांक 03.01.2011

4

क्र. एफ-52/1/10/यो/19 - 45

प्रति,

समस्त मुख्य अभियन्ता
समस्त अधीक्षण यंत्री,
समस्त कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग,
मध्यप्रदेश।

विषय :- पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने बावत्।

मध्यप्रदेश कार्यविभाग मैनुअल 1983 खण्ड-1, चैप्टर-2, कंडिका 2.006 में समस्त कार्यों की तकनीकी स्वीकृति कार्यविभाग के विभिन्न अधिकारियों को प्रत्यायोजित की गई हैं जिनका विवरण बुक ऑफ फायनेंसियल पार्वर्स 1995 खण्ड-2 में अंकित है।

कार्यों की समीक्षा के दौरान यह तथ्य जानकारी में आया है कि निर्माण प्रारंभ करने के उपरान्त कार्य की आवश्यकता के कारण स्वीकृत प्राक्कलन तथा निविदा के साथ संलग्न शिड्यूल के आइटम परिवर्तित कर दिये जाते हैं जिसके कारण कार्य का वित्तीय एवं भौतिक स्वरूप बदल जाता है। इस प्रक्रिया को शासन ने गंभीरता से लिया है।

अतः भविष्य के लिए निर्देशित किया जाता है कि स्वीकृत प्राक्कलन के आधार पर बनाया गया शिड्यूल या बी.ओ.एच्यू. में यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाना है अथवा कोई नये आइटम का समावेश किया जाना है तो कार्यपालन यंत्री उसका प्रस्ताव अधीक्षण यंत्री को प्रस्तुत करेंगे। अधीक्षण यंत्री प्राप्त प्रस्ताव में कोई भी कार्यवाही करने के पूर्व यह सुनिश्चित करें कि प्राप्त परिवर्तन अथवा नये आइटम के जोड़े जाने के परिप्रेक्ष्य में सक्षम प्राधिकारी से पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। जिन प्रकरणों में कुल व्यय मूल प्रशासकीय स्वीकृति के 10 प्रतिशत से अधिक होने की संभावना है उनमें कार्य विभाग नियमावली 1983 की चैप्टर (II) सैक्शन 2 की कंडिका 2.005 (2) के अनुसार कार्यवाही करते हुए पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जाये। बिना पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति जारी हुए जो भी अधिकारी नवीन आइटम अथवा संशोधित आइटम का निष्पादन करायेंगे या स्वीकृति जारी करेंगे उनके विरुद्ध नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Prakash
3/1/2011

(चन्द्र प्रकाश अग्रवाल)

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग

भोपाल, दिनांक 03.01.2011

4

पृ.क्र. एफ-52/1/10/यो/19 - 46

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग भोपाल।
2. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश भोपाल।

Prakash
3/1/2011

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग